

फर्द अहकाम

रामपुल बनाम कालू

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 104/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही आज्ञा विस्तृत रूप से

29/11/24

पत्रावली पेश हुई प्रकरण में अप्रार्थी कालू द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15/07/2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कि गई थी इस न्यायालय ने दिनांक 15/07/2016 को टी.आई का वाद के निर्णय तब कन्फर्म किया गया है जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 15/07/16 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है एवं पुनः सुनवाई के कोई निर्देश भी नहीं दिये गये हैं ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है

पत्रावली केवल कुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्काल दायित्व दफ्तर है।

29/11/24